भारत सरकाररसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा** अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1127

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 16 अगस्‍त 2013/25 श्रावण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**यूरिया की मांग और आपूर्ति**

**1127. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी**:

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों के दौरान यूरिया की मांग का वर्ष-वार और राज्‍य-वार ब्‍यौरा क्‍या है;

(ख) क्‍या प्रत्‍येक वर्ष किसानों के लिए यूरिया की आपूर्ति में कमी रहती है;

(ग) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्‍या प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को यूरिया की अपेक्षित मात्रा की समय पर आपूर्ति की जा सके?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) से (ग):** पिछले दस वर्षों के दौरान देश में यूरिया की वर्ष-वार एवं राज्‍य-वार मांग दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्‍नक** में दिया गया है। जैसा कि अनुलग्‍नक से देखा जा सकता है, पिछले वर्षों में यूरिया की उपलब्‍धता पर्याप्‍त एवं सुविधाजनक रही है।

**(घ):** सरकार किसानों को समय पर यूरिया की आवश्‍यक मात्रा की आपूर्ति सुनिश्‍चित करने के लिए निम्‍नलिखित उपाय (प्रयास) कर रही है:-

(1) कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) द्वारा राज्‍य सरकारों के परामर्श से प्रत्‍येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले मासिक आधार पर उर्वरक की मांग का आकलन एवं अनुमान लगाया जाता है।

(2) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्‍तुत किये गये माह-वार और राज्‍य-वार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्‍यों को उर्वरकों की उचित/पर्याप्‍त मात्रा आबंटित करता है और निम्‍नलिखित प्रणाली के माध्‍यम से लगातार निगरानी रखता है:

-2-

(i) सभी प्रमुख राजसहायता प्राप्‍त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली (www.urvarak.co.in) द्वारा, जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) भी कहा जाता है, देश भर में की जा रही है।

(ii) राज्‍य सरकारों को अपने राज्‍य सांस्‍थानिक अभिकरणों, जैसे मार्कफेड इत्‍यादि, के माध्‍यम से रेलवे रैक की यथा-समय मांग प्रस्‍तुत करके आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए उर्वरक उत्‍पादकों और आयातकर्ताओं के साथ समन्‍वय करने की भी नियमित रूप से सलाह दी जाती है।

(iii) कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), उर्वरक विभाग (डीओएफ), तथा रेल मंत्रालय द्वारा राज्‍य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्‍त रूप से नियमित साप्‍ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्‍य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरकों के प्रेषण में उपचारी कार्रवाई की जाती है।

(iv) उर्वरक की आवश्यकता और स्‍वदेशी उपलब्‍धता के बीच अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

\*\*\*\*\*